न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 08 / 2020 दायरा दिनांक : 06.01.2020

उनवान

1-- नन्दलाल आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2-- किशन आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3-- मदनलाल आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4-- कैलाश चन्द आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1-- भवाना आत्मज रामचन्द्र, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2-- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 55 / 2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया जो राजस्व

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प पीपल्या में निर्णय पारित करते हुए डिक्री किया जिस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जिसमें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.10.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । जबकि पत्रावली जवाब में जैरकार थी । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी थी । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 418 का पुराना खसरा नम्बर 333 था, के आधार पर खातेदार घोषित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 333 वादी के खाते में दर्ज होना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 333 की जमाबंदी पेश नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत केम्प पीपल्या में किया गया । कैम्प में उपस्थित होने बाबत अपीलांट प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । नोटिस अपीलांट संख्या 1 नन्दलाल के पुत्र को, अपीलांट संख्या 3 मदन लाल के भतीजे को, अपीलांट संख्या 4 कैलाश चन्द के भतीजे को तामील पाई गई व अपीलांट संख्या 2 स्वयं ने नोटिस की प्राप्ति की । अतः अपीलांट का यह कथन कि केम्प की सूचना नहीं थी, उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2016 को अपीलांट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्शायी है जो उचित है क्योंकि अपीलांट प्रतिवादीगण बावजूद सूचना/नोटिस के अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक रिकार्ड के निर्णय किया है जिसमें नकल जमाबंदी खेवट खतौनी खाता संख्या 38 किता 14 रकबा 53.10 बीघा वाके ग्राम गुराडिया झाला प्रदर्श 1 जो कि भवाना आत्मज रामचन्द्र, जाति मीना नाबा व मोत्या बेवा रामचन्द्र के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 333 रकबा 10 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड पायी गयी । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 से 2047 से साबिक खसरा नम्बर 333 रकबा 6.07 व खसरा नम्बर 334 रकबा 07 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 418 रकबा 6.14 बीघा बना है । प्रतिवादी नम्बर 5 ने भी अपने जवाबदावे में खसरा नम्बर 333 का हाल खसरा नम्बर 418 बनना बताया जाकर वादी द्वारा अ ब स में चाही गयी राहत प्राप्त करने की पात्रता बतायी गयी है । इस प्रकार वादी अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– नन्दलाल आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2– किशन आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
3– मदनलाल आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
4– कैलाश चन्द आत्मज मोतीलाल, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.......अपीलांट

बनाम

1– भवाना आत्मज रामचन्द्र, जाति मीना, निवासी गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपहाड़

...... रेस्पोडेंट

अपील नं. 08 / 2020 व नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी

मु.द.नं 55 / 2013 निर्णय एवं डिकी दिनांक – 17.06.2016

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 05 माह 02 सन् 2021

हाजरी **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 17.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 18 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राज.